31.08.2017

प्रथम चरण की काउसिलिंग प्रक्रिया (संशोधित)

माननीय सर्वोच्च न्यायायलय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 22438–22439 / 2017 में पारित निर्णयानुसार **''म0प्र0 राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2017''** में संशोधित काउसिलिंग कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समय सीमा में पुनः प्रथम चरण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः–

1. पुनर्निधारित समय सारिणी अनुसार प्रथम चरण की काउसिलिंग आन लाईन की जावेगी । काउसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु एम0पी0आन लाईन में पूर्व से रजिस्टर्ड समस्त पात्र स्थानीय निवासी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नई ''च्वाईस फिलिंग'' एवं ''लॉकिंग'' की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा । जिसका अवसर अभ्यर्थी को मात्र एक बार ही दिया जावेगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह पूर्णतः सोच समझकर ''च्वाईस फिलिंग'' एवं ''लॉकिंग'' करें । ''च्वाईस लांकिंग'' के उपरांत ''च्वाईस'' में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
2. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में ओपन एवं एन आर आई की सीटों पर केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को आवंटन किया जायेगा।
3. स्टेट कोटे की पूर्व की काउसिलिंग द्वारा प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल दस्तावेज किसी संस्था में जमा है उन्हे अपना वर्तमान ''अलाटमेंट लेटर'' एवं पूर्व में अधिष्ठाता / प्राचार्य द्वारा जारी मूल दस्तावेज जमा संबंधी प्रमाण पत्र वर्तमान में आवंटित नवीन संस्था में प्रवेश हेतु स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

4- ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवंटन पहली बार हुआ है उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं आवश्यक शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है । आवश्यक शुल्क एम0पी0आन लाईन के माध्यम से अथवा डिमाण्ड ड्राफट् जो कि संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल, के नाम से देय होगा, के माध्यम से जमा कराना होगा। जिन अभ्यर्थियो द्वारा पूर्व में शुल्क का भुगतान किया जा चुका है नवीन आवंटन पश्चात् आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उनका शुल्क आवश्यकतानुसार समायोजित किया जावेगा । **अभ्यर्थी जो किसी विशेष कारण एवं विशेष परिस्थिति में ऑनलाईन अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवेश के समय फीस जमा करने में असमर्थ है ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु मल्टीसिटी चेक इस घोषणा के साथ जमा करा सकेगा कि वह आगामी कार्यालयीन दिवस में देय फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित संस्था में जमा करायेगा । उपरोक्त आशय का एक घोषणा पत्र अभ्यर्थी को संस्था में जमा कराना होगा। इन अभ्यर्थियों को उनकी प्रवेश स्लिप उन्हें डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने के पश्चात् ही दी जायेगी।**

यदि अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। किसी भी स्थिति में नगद राशि द्वारा फीस का भुगतान नहीं लिया जायेगा।

5- काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी समय–समय पर कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं निर्धारित पोर्टल www.dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट के सतत संपर्क में रहें ।

द्वितीय चरण की आनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया आनलाईन की जायेगी।
2. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में समस्त पात्र स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात् निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की रिक्त रही एमबीबीएस/बीडीएस सीटों का आवंटन राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।
3. स्टेट कोटे की पूर्व की काउसिलिंग द्वारा प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल दस्तावेज किसी संस्था में जमा है उन्हे अपना वर्तमान "अलाटमेंट लेटर" एवं पूर्व में अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी मूल दस्तावेज जमा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संस्था में जमा समस्त मूल दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि वर्तमान में आवंटित नवीन संस्था में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
4. नवीन आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं आवश्यक शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है । आवश्यक शुल्क एम0पी0आन लाईन के माध्यम से अथवा डिमाण्ड ड्राफट् जो कि संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल के नाम से देय होगा, के माध्यम से जमा कराना होगा, जिन अभ्यर्थियो द्वारा पूर्व में शुल्क का भुगतान किया जा चुका है नवीन आवंटन पश्चात् आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उनका शुल्क आवश्यकतानुसार समायोजित किया जावेगा । **अभ्यर्थी जो किसी विशेष कारण एवं विशेष परिस्थिति में ऑनलाईन अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवेश के समय फीस जमा करने में असमर्थ है ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु मल्टीसिटी चेक इस शर्त के साथ जमा करा सकेगा कि वह 24 घण्टों के अन्दर देय फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित संस्था में जमा करायेगा । ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश स्लिप उन्हें डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने के पश्चात् ही दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी** समयावधि में **डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। नगद राशि द्वारा फीस का भुगतान मान्य नहीं होगा।**